



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बापिणी, जिला-फलौदी

क्रमांक : उप.बा./ग्रा.से.शि./2025/

दिनांक :

कैम्प कोर्ट का स्थान : ग्रामीण सेवा शिविर-2025, मतोड़ा।

-:: आदेश ::-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र एवं पटवारी मतोड़ा व भू.अ.नि. मतोड़ा रिपोर्ट तथा तहसीलदार बापिणी/नायब तहसीलदार मतोड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लाखेटा तहसील बापिणी व जिला फलौदी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में खाता संख्या- 120 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर अमल दरामद आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|--------|-------------|--|--|
| 1 | लाखेटा | 120 | मनोहरराम पुत्र रूगनाथराम जाति विश्नोई | मनोहर लाल पुत्र रूगनाथ राम जाति विश्नोई |

पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर बापिणी

क्रमांक : उप.बा./ग्रा.से.शि./2025/
प्रतिलिपि :-

दिनांक :

01. तहसीलदार बापिणी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र करावें।
02. पटवारी हल्का मतोड़ा।

पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर बापिणी